

भारतीय न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

₹.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NO. 1 JUDICIAL

(3)

मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश

15AA 211110

County Hall
Indore

410 71

500 NBM 09
130 NOV 2015



7723-27 18 SEP 2015 $\frac{20}{5} = 1001$ —

—राज्य प्रिया लोका १९९३
मंडपाम्. दीपा

कृष्ण

१०७१

मध्य प्रदेश वर्गीकृत

71

मुकाम

बीस
रु

दसतावेज की तकसीलवारी या कीमत
या दसतावेज की तारीख या किसी चो
मुहरबन्द लिपाका लिया गया हो
विसके बाबत फौस दाखिल हुई हो
उसके ऊपर लिखी हुई इचारत

तादाद
फौस (अगर
हो तो)
दाखिल शुदा

रजिस्टर
के
ओहवेदार
के छोटे
दसतावेज

रु २० टी १९३५
०८०
तारीख ३०/११/१५

२००
१९३५
०८०
तारीख ३०/११/१५

क**Rs.20****TWENTY
RUPEES****INDIA NON JUDICIAL**

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

15AA 211111

१९३५

ମେଘଦୂତ

୨୩୨୫

18 SEP 2015

୭

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON-JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

15AA 211112

41073

7725

2015 अक्टूबर ५।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

15AA 211113

41091

३३२६

महाराष्ट्र विधान सभा

१८. ८. २०१५

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES



INDIA

INDIA NON JUDICIAL

संस्कृत विद्या विभाग
गोदावरी जिल्हा नाडेश

15AA 211114

41091

ମେୟି ୨୭ ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୫

ମେୟି କିନାର୍ଣ୍ଣା

३५४०.५५
 २३१३१
 २३१३१
 ३९६३८-५६
 ३९६३८-५६
 १०००६/
 N २२५५३८८८
 १०००६/
 H. ७१९
 १०००६/
 D १६७५४५

विवाह लेखन संग्रहीत का नाम - प्राप्ति
क्रमांक

म- १२८८४, दोस्त

के १ छातुल वा. १२८८४-५८५

म- ३१८८४, कोडलौ

प्राप्ति

१९५५

स्टाम्प इयूटी राष्ट्री	1,74,600.00
पंचायत इयूटी राष्ट्री	23,280.00
उपकर इयूटी राष्ट्री	8,730.00
अतिरिक्त इयूटी राष्ट्री	40.00
कुल स्टाम्प्स राष्ट्री	2,06,650.00

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत विधायिका
ग्राम-झलासीया, तहसील व जिला-इन्दौर की
भूमि पर विकसित वालोंनी 'काउन्टी बॉक',
का भूखण्ड क्रमांक वी-०५ (बी-पाँच),
जिसका व्यवहार मूल्य राष्ट्री 23.25.00/-
(अकारी राष्ट्री तोड़ा लागत अन्तर्गत होती है)

विक्रय-पत्र

भूखण्ड का यह विक्रय-पत्र सिल्व देने वाले विक्रेता-

- (१) श्रीमती नेहा पति श्री प्रेम रामदानी,
निवासी-११/१, ओलड पलासीया, इन्दौर (म.प्र.)
- (२) श्री विरेन्द्र अग्रवाल पिता श्री श्री हनुमानप्रसाद अग्रवाल,
निवासी-१०७-१०८, जानकी नगर एमसटेंडर, इन्दौर (म.प्र.)
- (३) श्री संजय कासलीवाल पिता श्री सनह लुमार जी कासलीवाल,
निवासी-२१, आर.वे. पुरम. कांडोली, इन्दौर (म.प्र.)
- (४) श्री अवतार सिंह भाटिया पिता श्री गोकुल सिंह जी भाटिया,
निवासी-ए.डी. ३४८, स्कीप नम्बर ७४-सी, इन्दौर (म.प्र.)
- (५) श्री हरमिनदर सिंह भाटिया पिता श्री गोकुल सिंह जी भाटिया,
निवासी-ए.डी. ३०६, स्कीप नम्बर ७४-सी, इन्दौर (म.प्र.)

...2

क्रम १

क्रम २

Achal Shetty

रामदानी

कार्ड	17466
प्रमाणिक	23286
संख्या	6735
ग्रामियन	45
शिविर	76650
	<hr/>

दूसरी अंकता का संग्रह

सैर अनुल ५१० २७८८८८८ २४८

विभागीय दल विभाग इन्डोर
ग्रामीण एस्टेट के लिए पंजीयक ६
भारतीयाम, तारीख
१८/३/१९८० ददे २३/३/१९८०

पद पंजीयक, इंडोर



Amit

- (6) मेसर्स महाकाल रियल एस्टेट एण्ड डेवलपर्स प्राबंडेट लिमिटेड,
पता-जी.एफ. 1/11, एफ. एफ., 13-14, शेखर रेसीडेन्सी, इन्दौर (म.प्र.)
तर्फे डायरेक्टर-श्री हरमिन्दर सिंग पिता श्री गोकुलसिंग जी भाटिया,
निवासी- ए.टी./306, स्कीम नम्बर 74-सी, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)
- (7) श्री मुकेश कुमार पिता श्री हरपालसिंह नामदेव,
- (8) श्रीमती मरीच पति श्री मुकेश कुमार नामदेव,
दोनों निवासी- 1, बन्दना नागर, इन्दौर (म.प्र.)
- (9) श्रीमती यनीषा (पिता श्री रामगोपाल जी) पति श्री मुकेश कुमार नामदेव,
निवासी- 1, बन्दना नागर, येन रोड, इन्दौर (म.प्र.)
- (10) श्रीमती अनीता सिंह पति श्री महेन्द्रसिंह,
निवासी- हु.एफ/ 14, स्कीम नम्बर 54, इन्दौर (म.प्र.)
- (11) श्रीमती मुख्येन कौर पति श्री हरमिन्दर सिंह भाटिया,
निवासी- ए.टी./306, स्कीम नम्बर 74-सी, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)
- (12) श्रीमती कस्तुरी बाई पति श्री हरपालसिंह जी,
निवासी- 63, ओल्ड चाजीयंज डॉर्सी (उ.प्र.)
- (13) श्रीमती मनता सिंह पिता श्री ओमप्रकाशजी रमा,
निवासी- शुक्र शेल्टर, समर पार्क कालोनी, निषाम्या रोड, इन्दौर (म.प्र.)
- (14) श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री हरपालसिंह जी,
निवासी- हु.एफ/ 14, स्कीम नं. 54, इन्दौर (म.प्र.)
- (15) मेसर्स आशीवाद स्काय हाईट्स टॉवर्स प्राबंडेट लिमिटेड,
पता-सोसायटी नं. 75, सरदार बलभ भाई पटेल नार्म,
महाराष्ट्र अंधेरी (वेस्ट) मुमर्झ (महाराष्ट्र)
तर्फे अधिकृत- श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री हरपालसिंह,
निवासी- हु.एफ/ 14, स्कीम नं. 54, इन्दौर

मेरा यह अलूल १० रुपये का ही रासी -
मेरा २१५. ३० रुपये, इसी दौलत के लिए

मैंने आपको इस से जापा।
जैसा कि करते हैं कि बदाकर्यालय
जैसा कि वास्तव का निष्पादन निया-
ग्राम पाल द्वितीय के गुरुभिर्विक
से इसी दौलत के लिए बदाकर्यालय
का हो गया है।
इसी दौलत से
इसी दौलत की
समाज की
समाज की
इस यहाँ ही पश्चिम के बाद होती।
काम करनी।

(१)

मेरा १० रुपये का लिए

१० रुपये मीलार्या

(२)

मेरा १० रुपये

१० रुपये

श्री शंख द्वितीय निष्पादक / निष्पादक
की लिनामत के विषय में की हर है।
शाब्द तारिख २३/१२/१३

S.M.K. GUPTA

१० रुपये

3

- (16) मेहरां पंगा इंटरप्राईजेस,
पता- 233, आदर्श नगर, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई (महाराष्ट्र)
ताँके अधिकृत- श्री महेन्द्रसिंह पिला श्री हरपालसिंह,
निवासी- ई.एफ/14, रक्षीम नं. 54, इन्दौर (म.प्र.)
- (17) श्रीमती प्रभिला पति श्री ओमप्रकाश जी चन्दा,
निवासी-शंकर नगर, थोंडा (उ.प्र.)
- (18) श्रीमती मनदीप कौर पति श्री खुशबंद सिंह भाटीया,
निवासी-जी, एफ-9, रक्षीम नगर 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)
(उपरोक्त व्यक्तियों के अधिकृत आम मुख्यत्वार)
- (1) श्री फाजल पाहवा पिला श्री लिलामलाल जी पाहवा,
निवासी- 17, रेतलोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.)
ठायरेपट्ट-एरोन डेवलपर्स प्रायरेट लिमिटेड,
पता-आर-1, शाऊड पलोर, 'मेट्रो टॉवर',
रक्षीम नगर-54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)
- (2) श्री मुकेश कुमार पिला श्री हरपालसिंह नानदेव,
निवासी- 1, बद्दा नगर, इन्दौर (म.प्र.) ...प्रथमपक्ष /विकेता
(जिन्हें संयुक्त रूप से सदर विक्रय-पत्र में "प्रथमपक्ष/विकेता" शब्द से संबोधित किया गया है।)

इन्होंने यह विजय-पत्र लिखवा लेने वाले 'केता-

श्री अलुल शर्मा,
पिला श्री रामस्वरूप जी शर्मा,
निवासी-3/5, साऊथ तुकोगंज,
तुर्या होटल के सामने, इन्दौर (म.प्र.) ... द्वितीयपक्ष/केता
(जिन्हें सदर विक्रय-पत्र में "द्वितीयपक्ष/केता" शब्द से संबोधित किया गया है।)

-4-

H
A-Hughes

विकेता
केता

प्राप्ति क्रमांक
2136 दोष
प्राप्ति क्रमांक 22310
श्री राम कुमार
S.R.K. GUPTA
सरकारी प्राप्ति क्रमांक

Arul Ghosh

A
Anil

4

(विकेतापक्ष एवं केतापक्ष इन्हों के उत्तर संबोधन में विकेतापक्ष एवं केतापक्ष स्वयं तथा इन्हों के समस्त दारिसाग, हितवंध व्यक्ति, रवत्वप्राहीगण, वैध-प्रतिनिधि, वैधानिक उत्तराधिकारीगण, प्रशासक, नियमाद्वार, मुख्यत्वार, अन्तरिती इत्यादि राखी का नमायेश है ।)

यह, विकल्प-पत्र विकेतापक्ष, केतापक्ष के हक व हित में निम्नानुसार निष्पादित तथा सम्पादित कर देते हैं, ऐसा कि :-

(1) यह कि, ग्राम पंचायत हेज के अन्तर्गत स्थित ग्राम-झलारीवा, लहसील व जिला-इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर-23 के विभिन्न सर्वे क्रमांकों की भूमि पर कॉलोनी का विकास कार्य करने हेतु पश्च प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) और उसके अन्तर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्दिष्ट तथा शर्तें), निवाप 1999 के अधीन पंजीकृत होकार, इनका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक/40/2006, दिनांक 21.08.2006 है तथा उत्तर परिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ही प्रथमपक्ष/विधेयता द्वारा सदर कॉलोनी का विकास कार्य करदाया गया है ।

(2) यह कि, ग्राम पंचायत हेज के अन्तर्गत स्थित ग्राम-झलारीवा, लहसील व जिला-इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर-23 के सर्वे क्रमांक 33, 62/3, 63, 62/2 पर्की, 64/2/1, 62/1, 64/1/1, 61, 29/1, 54/2, 58/2, 64/1/2, 52, 15/4, 30/2, 58/1, 56, 54/1, 27, 50/1, 50/2, 55, 153 एवं 154 की कुल संख्या 44.434 हेक्टेयर कृषि भूमि को विकेतापक्ष के सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से विभिन्न रजिस्टर्ड विकल्प-पत्रों क्रमांक 1-अ/1385(ज)/06 दिनांक 10 अगस्त, 2006,

.5

14/1/2006
Vikas Kukreja
Kukreja

Uttar Pradesh
Government
Department of Panchayati Raj

सि - १ ग्रीष्म दिन निरानलाल पाण्डा,

पुस्तकालय संग्रहालय

२ बुद्ध चुम्बन दिन विष्णुलिपि लेखन

पुस्तकालय संग्रहालय

प्राचीन लिपि का अध्ययन
विभाग करते हैं। इस विभाग
का उद्देश्य यह है कि

प्राचीन लिपि का अध्ययन
द्वारा इसके अनेक विषयों
का अध्ययन किया जाए।

(१) अद्यतालय लिपि

जो लिपि विभाग का अध्ययन का

उद्देश्य है। इसका उद्देश्य

इसका उद्देश्य है कि

१

पुस्तकालय संग्रहालय

पुस्तकालय संग्रहालय

२

पुस्तकालय संग्रहालय

पुस्तकालय संग्रहालय

मेरी द्वारा दुर्बोल निरानल / निरानल
की विस्तृत विवरण में जी गई है।

विवरण में जी गई है।

Sd/R.K. GUPTA

प्रबंधी, हाल्य

5 N

1-अ/1040(ज)/07 दिनांक 29 अगस्त 2007, 1-अ/2340(९)/08 दिनांक
15 जनवरी, 2008 1-अ/3685(ज)/07 दिनांक 31 मार्च, 2007, 1-अ/1435/08(९)
दिनांक 17 जूल, 2008, 1-अ/3432(ज)/07 दिनांक 21 मार्च, 2007, 1-अ/3121(ज)/
दिनांक 24 फरवरी, 2007, 1-अ/2300(ज)/06 दिनांक 30 नवम्बर, 2006,
1-अ/1705(ज)/06 दिनांक 23 सितम्बर, 2006, 1-अ/776(ज)/06 दिनांक
12 जूल, 2006, 1-अ/2464(ज)/06 दिनांक 10 फरवरी, 2006, 1-अ/1800(ज)/06
दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, 1-अ/685(ज)/06 दिनांक 03 जून, 2006, 1-अ/561(ज)/
दिनांक 29 मई, 2006, 1-अ/611(ज)/06 दिनांक 31 मई, 2006, 1-अ/1515(ज)/
दिनांक 28 अगस्त, 2006, 1-अ/1249(ज)/06 दिनांक 25 जुलाई, 2006,
1-अ/1799(ज)/06 दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, 1-अ/2447(ज)/06 दिनांक
08 पाप्यरी, 2006, 1-अ/3480(ज)/06 दिनांक 31 मार्च, 2006, 1-अ/1081(ज)/
दिनांक 02 जुलाई, 2007, 1-अ/1197/2007 दिनांक 11 अक्टूबर 2007,
1-अ/1773(ज)/06 दिनांक 05 अप्रैल, 2006, 1-अ/994(ज)/2005 दिनांक
03 जुलाई, 2006, 1-अ/993(ज)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 के जर्वे लिखी दी हुई
है तथा उपरोक्त वर्णित सदर सम्पूर्ण गृषि भूमि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्रों के आधार पर
प्रधानपत्र/विक्रेता के सदस्यों के नाम पर समस्त शाशकीय राजस्व रिकार्डों एवं भू-अधिकारों
में विविध काप से नामान्तरित होकर दर्ज है।

..6

विधायक/प्राप्तकर्ता/विधिकारी

SD/R.K. GUPTA के लिए

का विभाग से दस्तावेज़ दिया गया।

को दिया गया।

SD/R.K. GUPTA

कर विधीयक, इमोर

विधायक/प्राप्तकर्ता/विधिकारी

SD/R.K. GUPTA के लिए

का विभाग से दस्तावेज़ दिया गया।

को दिया गया।

SD/R.K. GUPTA

कर विधीयक, इमोर


6

(3) यह कि, शाम-झलारीया, तहसील व ज़िला-इन्दौर की उपरोक्त वर्णित सभी सर्वे क्रमांकों में से कुल रकमा 43.929 हेक्टेयर भूमि के आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन एवं विकास बाबद, कार्यालय संग्रह संचालक नगर तथा प्रान निवेश, ज़िला कार्यालय, इन्दौर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 7022/जि.का./न.गा.नि./एल.वाय./45/2007 इन्दौर, दिनांक 25.10.2007 के द्वारा आवासीय कॉलोनी अनुमोदन एवं विकास बाबद रवीकृति जारी की गई है तथा उक्त अनुमति को कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5666, दिनांक 13.10.2009 के द्वारा नवीनीकृत किया गया है।

(4) यह यि, शाम-झलारीया, तहसील व ज़िला-इन्दौर की उपरोक्त वर्णित सभी सर्वे क्रमांकों में से पैकी कुल रकमा 43.929 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग बाननीव न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व, इन्दौर के द्वारा नव्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत उनके प्रकरण क्रमांक 178/अ-2/2007-2008 में घारित आदेश दिनांक 07.03.2008 के द्वारा परिवर्तित कर आवासीय पोस्ट चिह्न दिया गया है।

(5) यह कि, कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी, राजस्व कलेक्ट्रोरेट, इन्दौर द्वारा अपने अनुमति क्रमांक 22/2008, दिनांक 11.03.2008 के द्वारा प्रथमपक्ष/विकेता को उनके रखानिये एवं आविष्यक की शाम-झलारीया, तहसील व ज़िला-इन्दौर में उपरोक्त वर्णित कुल रकमा 43.929 हेक्टेयर भूमि पर कालोनी का विकास कार्य करने प्राबद्ध अनुमति प्रदान कर दी गई है।

...7



7

(६) यह कि, प्रथमपक्ष/विकेता द्वारा उपरोक्त वर्गित अनुसार याम-झलकीया, लहसील व जिला-इन्दौर के विभिन्न सर्वे जमांको कि कुल रकमा 43.929 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से पिलकर “काउन्टी पॉक” नामक कॉलोनी का विकास करना प्रस्तावित विद्या है, जिसके विभिन्न भूखण्डों के विषय में समस्त प्रकार का व्यवहार तथा अन्तरण एवं हस्तान्तरण आदि करने का प्रथमपक्ष/विकेता को पूर्ण तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त होने से उन्होंने राष्ट्र विकासित कॉलोनी के भूखण्ड कमांक शी-०५ (शी-पाँच), जिसका राष्ट्र धर्मन संघ एवं चतु:सीया निम्नानुसार है, को नय विकास द्वारा इस विकास-पत्र के द्वारा कुल वीमत रूपये 23,28,000/- (अक्षरी रूपये तीन सौ छठ अट्ठाईस हजार रुपये) में विक्रय यद विद्या होता, उसका सम्पूर्ण विक्रय पूर्ण प्रथमपक्ष/विकेता ने द्वितीयपक्ष/केता से निम्नानुसार रीति से प्राप्त कर लिया है।

रूपये 14,00,000.00 (अक्षरी रूपये चाहूँह लाख रुपये) प्रथमपक्ष/विकेता ने द्वितीयपक्ष/केता से दिनांक 16 नवम्बर, 2009 को साक्षियों के समक्ष विभिन्न रूप से नगद प्राप्त किये हैं।

रूपये 9,28,000.00 (अक्षरी रूपये नी लाख अट्ठाईस हजार रुपये) प्रथमपक्ष/विकेता ने द्वितीयपक्ष/केता से दिनांक 23 नार्व, 2010 को साक्षियों के समक्ष विभिन्न रूप से नगद प्राप्त किये हैं।

रूपये 23,28,000.00 (अक्षरी रूपये तीन सौ छठ अट्ठाईस हजार रुपये) कुल प्राप्त हुए।

May

Reet

Atul sharma





४४#


विकीर्त भूखण्ड का स्पष्ट वर्णन

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम-झलसीया, तहसील व ज़िला-इन्दौर की भूमि पर विकासित कॉलोनी 'काउन्टी बॉक' का भूखण्ड क्रमांक शी-०५ (बी-पॉच), जिसकी तल भूमि की पूर्व-पश्चिम लम्बाई ३२.०० मीटर तथा उत्तर-दक्षिण चौडाई २०.७७ मीटर की होकर, सदर भूखण्ड की तल भूमि यात योन क्षेत्रफल ७१५४ वर्गफीट अथात् ६६४.६४ वर्गमीटर होकर स्थित है, जिसे सम्पूर्ण प्रथमपक्ष/विकेता आप द्वितीयपक्ष/केता को विकाय कर रहे हैं। (विकीर्त सदर भूखण्ड को आगे इस विकाय-पत्र में सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से "सदर सम्पत्ति" शब्द से संबोधित किया गया है।) विकीर्त सदर सम्पत्ति को और अधिक स्पष्टता के लिये गलत प्लान में "लाल रंग" की रेखा से रेखांकित कर दर्शाया गया है, प्लान इस लेख का अभिन्न अंग माना जावेगा। सदर सम्पत्ति के निकाश की रूपांत्र चयनस्था भूखण्ड के सम्में की ओर स्थित कॉलोनी की सड़क से होकर रहेगी। विकीर्त सदर सम्पत्ति निजी स्वामित्व की होकर आदासीय क्षेत्र में आदासीय उपयोग की स्थित है।

विकीर्त भूखण्ड की चतु:सीमा

- पूर्व में :: भूखण्ड क्रमांक शी-०६
पश्चिम में :: १.०० मीटर छीड़ी सड़ण
उत्तर में :: भूखण्ड क्रमांक शी-०६
दक्षिण में :: भूखण्ड क्रमांक शी-०४


✓ And 8 hours



9

उपरोक्त विवरण तथा चतुर्सीमा के मध्य की सदर सम्पत्ति को, आगे से पीछे ताक, तल भूमि के सम्मूर्ण अधिकार सहित, प्रथमपक्ष/विकेत ने युल चीमत रुपये 23,28,000/- (अक्षरी रुपये तेर्इस लाख अट्टवाईस हजार मात्र) में आप द्वितीयपक्ष/केता को विक्रय कर दिया होकर, उसका चुकाता मिश्रय मूल्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिया है लभा विक्रित सदर सम्पत्ति का रिक्त तथा रक्तरंत्र आधिकरण भी बौद्धि पर नष्टी काव्याशक, विकेता/प्रथमपक्ष ने केता/द्वितीयपक्ष को साक्षियों के सामने विविक्त रूप से लौंग दिया है तथा आधिकरण प्राप्त होना केता/द्वितीयपक्ष सदर विक्रय-पत्र के द्वारा स्वीकार करते हैं।

(?) यह कि, विक्रीत सदर सम्पत्ति में प्रथमपक्ष को जो-जो भी मालिकाना हुक, रक्तरंत्र तथा अधिकार आदि प्राप्त है, वे आज दिनांक से तथा इस विक्रय के कालाकाल समाप्त हो गये होकर, अब द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं। अब आप द्वितीयपक्ष विक्रीत सदर सम्पत्ति का मालिक नाहे उपर्योग, उपयोग, अप्लाई, हस्तान्तरण तथा निस्तारण आदि करने के लिए यूर्जा तथा वैधानिक रूप से अधिकृत हो गये हैं।



10

(8) यह कि, विकील सदर सम्पत्ति को प्रथमपक्ष ने आप द्वितीयपक्ष के अलावा पूर्व में अन्य किसी को, किसी भी रीति से बिकी, निरवी, दान, अन्तरण, ऐरलान्टरण अथवा कलं
के पेटे रेहन आदि किया हुआ नहीं है तथा विकील सदर सम्पत्ति पर विकील शंक, तंत्रण, व्यक्ति
अथवा विकील व्यायालय आदि का कर, कर्ज, जमानत अथवा मेन्टेनेन्स आदि जैसा कोई धारा,
भार या बोझा भी नहीं है। संक्षेप में विकील सदर सम्पत्ति समरत प्रकार के अलग, वार्ज, भार,
बोझों से पूर्णतया मुक्त होकर, प्रथमपक्ष द्वारा आप द्वितीयपक्ष को विकाय, अन्तरण की जाने
गोप्य शुद्ध सम्पत्ति है।


(9) यह कि, प्रथमपक्ष द्वारा किये गये सदर विकाय व्यवहार में उन्होंने किसी भी वानिस
अथवा हमलार आदि को कोई तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति, विदाव भी नहीं है। भविष्य
में विकील सदर सम्पत्ति के स्थानिक बाबद किसी ने, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या विवाद
आदि पैदा किया अथवा प्रथमपक्ष के इन विकाय अधिकारों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा
दोष आदि पाया गया तो उस यायद विचारणा जनने का दायित्व प्रथमपक्ष का रहेगा।

(10) यह कि, विकील सदर सम्पत्ति पर लगने वाला हमस्ता प्रकार या शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कर तथा डायरेक्टर ट्रेक्स, लगान, तोजी तथा अन्य देश छार्ज या
प्रभार एवं मेन्टेनेन्स बार्जेस आदि जो भी असेसमेन्ट वर्ष 2008 से देग होंगे, उन समस्त प्रकार
के कर एवं ट्रेक्सेस आदि को संबंधित विभाग में जादा करने का एकमात्र दायित्व द्वितीयपक्ष का
रहेगा। हसी प्रभार विकील सदर सम्पत्ति पर भविष्य में भी किसी भी प्रकार के शासकीय एवं
अर्द्धशासकीय कर, जो भी समय-शाखा मर आवेदित होंगे, उन समस्त करों का भुगतान
यथासमय संबंधित विभाग में करने को देना/द्वितीयपक्ष बदनाम रहेगे। ..11

[Signature]

[Signature]

Afzal Sherry



(11) यह कि, सदर विकाय के पालनव्यवलय और आप द्वितीयपक्ष को यह पूर्ण तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि, आप द्वितीयपक्ष विकीर्त सदर सम्पत्ति का मुळिक नाते से अपनी इच्छानुसार उपयोग, उपभोग, अन्वयण, हस्तान्वयण तथा निस्तारण आदि करें। ताथ ही, नगर पालिक निगम-इन्डीर, ग्राम पंचायत-झलाईया तथा अन्य समस्त शासकीय, अशासकीय, अद्युशासकीय कार्यालय तथा विभागों में भालिक नाते से अपने रखय के ब्यय से अपना नाम नामान्वयण करवाकर अंकित करवा लें, जिसमें प्रथमपक्ष, फेला/द्वितीयपक्ष को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

(12) यह कि, सदर विकाय-पत्र के घारफूल् रूप लिये गये विकीर्त सदर सम्पत्ति के एवं कॉलोनी के रखा-रखाव शुल्क, याहु एवं अन्य समस्त विद्युत शुल्क तथा वलब हाउलस मेव्वरशीप फीस, बेन्टेनेन्स चार्जेंस आदि का भुगतान द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को उन्हों के निवेशानुसार नामने से 15 दिन की समयावधि के अन्दर अनिवार्य रूप से अदा किया जायेगा, जिस हेतु द्वितीयपक्ष अथवा उन्हों के समस्त अन्तरिती/अत्तायनीज़/हितआही/वारिस सदैर बकलबद्द रहेंगे तथा उत्त बर्नित नदों की सम्पूर्ण धनराशि प्रथमपक्ष को चुकती प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही विकीर्त सदर सम्पत्ति पर भवल निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(13) यह कि, सदर विकाय-पत्र के द्वारा फेला/द्वितीयपक्ष को केवल विकीर्त सदर सम्पत्ति ही अन्तरित की जा रही है तथा उक्त सम्पत्ति पर ही द्वितीयपक्ष को भालिकाना हल एवं अधिकार प्राप्त रहेगा तथा सदर कॉलोनी के रोड, गार्डन एवं यलब हाउलस तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग तथा उपभोग की भूमि को अन्तरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं रहेगा।

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the parties mentioned in the document. The first signature on the left appears to be 'Ranjan', the second in the middle appears to be 'B. S. D.', and the third on the right appears to be 'Anil Ghosh'. Below these signatures, there is a small, rectangular, faint stamp or seal.




(14) यह कि, फ्रेन्टापक्ष विभिन्न सदर सम्पत्ति पर बहुमंजिला प्रकोष्ठ भवन का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिदंषित है तथा विभिन्न सदर सम्पत्ति केवल आवासीय उपयोग तथा उपयोग हेतु ही फ्रेन्टा/ट्रिटीयपक्ष को विकाय की गई है तथा फ्रेन्टा/ट्रिटीयपक्ष द्वारा विभिन्न सदर सम्पत्ति में किसी भी प्रकार की कोई जरूरी गतिविधियों, सहज विशेषी कार्य का संचालन नहीं किया जावेगा तथा जो ही विभिन्न सदर सम्पत्ति का ऐर आवासीय उद्देश्य के लिये ही उपयोग तथा उपयोग किया जावेगा। यदि फ्रेन्टापक्ष द्वारा ऐसा कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है, तो ऐसे समस्त उपयोग को किसी भी प्रकार से प्रतिदंषित करने का अधिकार विफ्रेन्टापक्ष एवं सक्रम प्राधिकारी को प्राप्त रहेगा।

(15) यह कि, प्रथमपक्ष द्वारा सदर कॉलोनी के प्रत्येक भूखण्डधारकों को सदर कॉलोनी में विकसित योग्य जाने वाले गल्प हाउस वी सदरस्थता प्रदान की गई है तथा उक्त गल्प हाउस की सदरस्थता कॉलोनी के प्रत्येक भूखण्ड से ही जुड़ी हुई रहेगी, भविष्य में जब भी उक्त भूखण्डधारक द्वारा अपने स्वायित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड का किसी भी सील से अन्यत्र अन्तर्कृत तथा हस्तान्वारण आदि किया जाता है, तो कॉलोनी के उक्त गल्प की सदरस्थता भूखण्ड के साथ सम्पादित फ्रेन्टा/अन्तरिति के हित यहक में हस्तान्वरित हो जावेगी।


(16) यह कि, फ्रेन्टा/ट्रिटीयपक्ष द्वारा विभिन्न सदर सम्पत्ति पर भविष्य में पानी की सुविधा हेतु भूमिगत जल स्रोतों बाबद राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा चलाई गई हि-शार्टिंग योजना अनुसार, उन्हें भूखण्ड पर रिकार्ड बाबद आवश्यक निर्वाचन/कार्य किया जाना अनियार्थ होगा एवं इपरी प्रकार कॉलोनी में सामूहिक रूप से बनाई जाने यारी हि-शार्टिंग योजना में भी अनुशासित रूप से अपना अंश बहन लेंगे।

Atul Shastri
Shastri



(17) यह कि, सदर विक्रय-पत्र के जर्ये विक्रीत सदर रामति की समाने की कंपाउण्ड कॉल का निर्माण कार्य एकलपता की दृष्टि से कॉलोनी में समस्त भुखण्ड धारकों सहित आप फ्रेशापक्ष को एक लाईन एवं डिजाईन में ही किया जाना अनिवार्य होगा।

(18) यह कि, सदर विक्रय-पत्र के मार्फत् द्वितीयपक्ष द्वारा कार्य की गई सदर रामति बाबद् दैय याहु विशुल संरचना व्यय एवं वर्तमान में निर्धारित की हुई कॉलोनी मेन्टेनेन्स शुल्क एवं सिव्युरिटी डिपार्टमेंट की राशि का भुगतान सीधे ही सदर कॉलोनी को विकसित करने वाले टेकेदार द्वारा अदा करने तथा उक्त टेकेदार अशान उन्होंने के द्वारा विशुल एजेंसी के पारदर्शन से सदर कॉलोनी का मेन्टेनेन्स किया अशान करवाया जावेगा। दो बर्च की सवाली पश्चाल् उक्त टेकेदार द्वारा मेन्टेनेन्स शुल्क हेतु जो भी नवीनीकृत (Revised) दर/राशि निर्धारित की जावेगी, उक्त दर/राशि का भुगतान उन्होंने के द्वारा माँग किये जाने से 15 दिन की समयावधि के अन्दर होता/द्वितीयपक्ष द्वारा अदा किया जाना अनिवार्य है। यदि फ्रेशापक्ष द्वारा तब हुए अनुराग मेन्टेनेन्स की वार्षिक धनराशि का भुगतान अदा नहीं किया जाता है, तो उक्त वार्षिक धनराशि के एरियर्स (Arrears) का समायोजन फ्रेशापक्ष द्वारा सिव्युरिटी मेन्टेनेन्स डिपार्टमेंट द्वारा जना की गई धनराशि में से करने का सम्पूर्ण अधिकार उक्त टेकेदार द्वारा प्राप्त रहेगा।



(19) यह कि, भविष्य में विकेता/प्रथमपक्ष द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की सदर विभिन्न कॉलोनी के अन्य भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य किया जाता है तो, तत्समय किसी भी प्रकार का कोई अवशेष या आवश्यकता का अधिकार विकेता/द्वितीयपक्ष या उनके उत्तरानुवातीय को नहीं रहेगा।

(20) यह कि, सदर विकाय-पत्र के जर्दे काय किए गए उपरोक्त विभिन्न सदर भूखण्ड बाबद भविष्य में किए जाने वाले तमस्ता अन्तरण, हस्तान्तरण एवं निकालण से पूर्ण केता/द्वितीयपक्ष को विकेता/प्रथमपक्ष को आवश्यक अन्तरण शुल्क जमा करा यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं उक्त किए जाने वाले अन्तरण संबंधी तमस्ता विधिक दस्तावेजों की प्रतिलिपि निष्पादन दिनांक से 15 दिन की समयावधि के अन्दर विकेता/प्रथमपक्ष को उपलब्ध करायाकर उक्त अन्तरिक्षी/संबंधित भूखण्डधारक का नाम रिकार्ड में विधिवत् दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।

(21) यह कि, केता/द्वितीयपक्ष द्वारा सदर विकाय-पत्र के जर्दे विभिन्न सदर सम्पत्ति, जिस कॉलोनी में स्थित है, उस कॉलोनी से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण लाप से अवलोकन कर, पूर्णतः सन्तुष्ट होने के उपरान्त एवं विभिन्न सदर भूखण्ड की ओंके पर वस्तुस्थिति को देखने एवं समझने के उपरान्त ही विभिन्न सदर भूखण्ड को काय कर, सदर विकाय-पत्र को अपने हस्ताक्षर से निष्पादित तथा समाप्तित किया ज्या है।



16

(22) यह कि, विक्रेता/प्रथमपक्ष के सदस्य कमांक 1 लगायत 16 द्वारा प्राप्त पंचायत होते हो अन्तर्गत स्थित ग्राम-झलासीया, राहसील व जिला-इन्दौर के विभिन्न सर्वे कमांकों की भूमि, जिस पर "वारुनी बॉक" नामक लॉलोनी विकसित है, में अपने समर्पित की भूमि व उस पर विकसित भूखण्डों के संबंध में अपनी ओर से समर्पत प्रकार का विकाय व्यवहार, अन्तरण, हस्तान्तरण तथा निर्णय आदि गर्ने हेतु श्रीमान् उष-पंजीयक महोदय, इन्दौर के समक्ष निष्पादित मुख्यत्वार नामा आज कमांक 4-अ/ 86/2009, दिनांक 02 जून, 2009 के द्वारा एवं विक्रेता/प्रथमपक्ष की सदस्य कमांक 17 द्वारा सदर "वारुनी बॉक" नामक लॉलोनी में अपने समर्पित की भूमि व उस पर विकसित भूखण्डों के संबंध में अपनी ओर से समर्पत प्रकार का विकाय व्यवहार, अन्तरण, हस्तान्तरण तथा निर्णय आदि गर्ने हेतु श्रीमान् उष-पंजीयक महोदय, इन्दौर के समक्ष निष्पादित मुख्यत्वार नामा आज कमांक 4-अ/ 114/2009, दिनांक 15 जून, 2009 के द्वारा सदर विकसित लॉलोनी में समापिष्ठ भूमि के राह-वापी-श्री मुकेश कुमार नानदेव एवं श्री संजय पाहुया डाक्टरेयटर-एरोन डेट्हलपर्स प्रायरेट लिमिटेड, को अपना अधिकृत आप मुख्यत्वार नियुक्त किया हुआ है। उक्त वर्गित दोनों मुख्यत्वार नामा लेख आज भी कायम तथा प्रभावशील होता, किसी भी रीटि से वरिष्ठ, पर्यादित अवधा निरस्त आदि किया हुआ नहीं है तथा मुख्यत्वारकर्त्तागत आज दिनांक हो भी जीवित है।

...16

Aufschwung





16


(23) यह कि, इसी प्रकार विकेता/प्रत्येकपक्ष की सदस्य कमांक 18 द्वारा सदर “काउन्टी बॉक्स” नामक कॉलोनी में अपने स्थानिक की भूमि व उस पर विकसित भूखण्डों के संबंध में अपनी ओर से समस्त प्रकार का विकाय घटवाहार, अन्तरण, हरसान्तरण तथा निर्णय आदि करने हेतु श्रीमान उप-पंजीयक महोदय, नोएडा (उ.प.) के समक्ष निष्पादित मुख्यवार नामा आम कमांक 4-अ/801/2005, दिनांक 16 जून, 2009 के द्वारा सदर विकसित कॉलोनी में समादिष्ट भूमि के सह-स्थानी-श्री हरपिंदर सिंह भाटिया एवं श्री संजय पाहवा डायरेक्टर-एसें डेफलपर्स प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा उन्हें अपना अधिकृत आम मुख्यवार नियुक्त किया हुआ है। उक्त मुख्यवार नामा लेख के आधार पर उपरोक्त वर्गीकृत दोनों व्यक्तियों ने से योइ भी एक व्यक्ति विकेता/पक्ष ये सदस्य कमांक 18 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा उक्त मुख्यवार नामा लेख आज भी कायम तथा प्रभावशील होकर, किसी भी रीति से रीषित, पर्यादित अथवा निरस्त आदि किया हुआ नहीं है तथा मुख्यवारकार्ता आज दिनांक को भी जीषित है।

(24) यह कि, इस विकाय-पत्र के पंजीयन में लगने वाले समस्त खर्च जैसे-स्टाम्प हाफ्टी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य विविध खर्च का बहुन फेता/द्वितीयपक्ष ने किया है।

(25) यह कि, इस विकाय-पत्र में वर्गीकृत समस्त शर्तों का पालन आम फेता/द्वितीयपक्ष के द्वारा तथा उनके माध्यम से सम्बन्धित पर स्वयं बहुन या उसे वाले व्यक्तियों द्वारा किया जावेगा तथा इस हेतु ये बघनबद्ध हैं।

Arun Ghosh

अरुण घोष
लेखा





17

उपरोक्तमुख्य सदर सम्पति का विक्रय पत्र विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष ने परस्पर एक दूसरे के हित य हक में, पढ़कर, सुनकर तथा समझकर बिना नशा पानी किये, दो साड़ियों की उपस्थिति में, आज नगर इन्दौर में आपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित तथा सम्पादित यह दिया, जो चहीं। हलि, इन्दौर, दिनांक : 23 मार्च, 2010,

हस्ताक्षर-साक्षीणण:

हस्ताक्षर-विक्रेतापक्ष तर्फ

(1)
नाम: REYUHM ✓ V.W.D. D.J.D.M.

एशन डेवलपमेंट प्रायर्ड लिमिटेड

पता: E.P.H. VII, OX. 1/45000 S.C. 1
Brarore

मुकेश कुमार नामदेव,

(वहसियत अधिकृत जाम गुरुद्वार)

(2)
नाम: *Anup Singh Chauhan*

हस्ताक्षर-के साथ

पता: 1149, Shallowa Avenue

Anup Singh Chauhan
(अनुप शर्मा)

उपर्युक्तो द्वारा प्रदत्त नाहिंति एवं निर्देशामुख्य इस
विक्रय पत्र का आलाय मेरे द्वारा आलीचित हिया क्या है।

Mustafa Arif, Advocate

8-45, New Glycogen, Mall Godown Road,
INDORE, Mobile: 98270-28152, 98284-28182





माल गार्हा २६३१०
संख्या १२५ तिथि १८
१०७ पर तिथि ६६०३
क्रम संचयन किया गया।
Sd/R.K. GUPTA
क्रम संचयन किया गया।

आवेदन प्राप्त होने की तिथि ३०.७.५१
प्रतिलिपि सुनक जा दिए ३०.७.५१
प्रतिलिपि लिखा जा दिए ३०.७.५१
प्रतिलिपि सुनक जा दिए ३०.७.५१
प्रतिलिपि लिखा जा दिए ३०.७.५१
जब प्राप्त होने की तिथि ३०.७.५१



— ३०.७.५१ २६६०३ —

प्रतिलिपि सुनक दिए १८.७.५१
प्रतिलिपि सुनक २५
हाला सुनक २८.७.५१
क्रम संचयन किया गया।

प्रतिलिपि सुनक दिए १८.७.५१
क्रम संचयन किया गया।

